

मानचित्र संख्या 1065/जीएमपी/जीएच/11-12

डी/218, प्रियेक विहार, जिल्ला।

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु
निम्नलिखित स्तरों पर समस्त दीवारों को अपर
आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित / आवश्यक
है। जो ४००पी०सी० लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत
के नीचे डाले जाये।

सी/218, सिविक विहार, दिल्ली।
आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.11 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र खसरा संख्या 1010, 1011, 1012 ग्राम नूरनगर,
मजिस्ट्रेट पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:

- यह मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा जो केवल पांच वर्ष तक वैध है।
- मानचित्रों को इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जीएडीएओ) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत करणया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास कार्य मांग जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय / प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदार नहीं है।
- हालांकि व लिटिगेशन इस बात से सम्बंधित जायेगा कि सड़क पर न खुले।
- बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- सड़क सर्वेक्षण सेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध स्वयं करना होगा।
- स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट स्थल पर रखा होगा ताकि उसकी मीटिंग पर कर्मी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही करणया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उनकी ही होगी।
- यह मानचित्र 2000 नगर योजनाएं एवं विकास अधिनियम-1973 की भाग-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा अन्य क्षेत्र में निर्धारित से अधिक कोई रैम नहीं बनाने जायेगा। यह कार्य अन्य क्षेत्र में किया जायेगा।
- सुपरविजन एवं स्पेसीफिकेशन की नियम / शर्तों का पालन करना होगा।
- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 17.10.2011 का पालन करना होगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से 2000 धन्य व नैति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट पत्र प्राप्ति करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना अग्रज व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में लाना नहीं पर स्वीकृत मानचित्रों पर 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवन में एक फीट की सीमा में निर्माण कार्य करना अनिवार्य है।
- 12.00 मीटर से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवसंधारण सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्पराधी प्रमाण सुनिश्चित करनी होगी।
- योजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम समाज/सरकारी भूमि के समन्वय में नगर निगम/विभागीय में अनुपालन/स्वामित्व प्राप्त करणया आवश्यक होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा नितराधिकारी नगर निगम की अनुपालन/स्वामित्व प्राप्त होने तक इस भूमि पर कोई निर्माण/किसी कार्य नहीं किया जायेगा।
- संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आप का होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनदारा का अनुपालन सुनिश्चित करणया होगा।
- भवन में उपयोग की गई सामग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करणया आवश्यक होगा एवं सामग्री प्रमाण पत्र में भूत रेन माटर सर्वेक्षण एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करणया होगा।
- संरचित हुए इमारतों भूकम्प में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
- 15% आवश्यक तीन जन आवासीय हेतु छोड़ना होगा।
- निर्धारित 30 मीटर महामोचन मार्ग में बिस्तर हेतु पक्का पथ रोड के मांग की अवधि हर निर्माण कार्य के लिए किया जायेगा।
- खाल का निर्माण रोड कोडिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
- पर्यावरण विभाग का अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करणया होगा। प्रस्तुत करणया होगा।
- भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी बाध विषय की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिह्नित करणया हो निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त क्षेत्र में 75% बाह्य विकास रुक नमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करणया जायेगा।
- प्रस्तुत डबलपर्स एंजियेड/सिक्वोरिटी बॉण्ड का पूर्णतः अनुपालन करणया होगा तथा किरते निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करनी होगी अन्यथा विलम्ब की दशा में विलम्ब व्याज देय होगा।
- नतीस, चकरोट, ग्राम समाज व नगर निगम / सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
- प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार डिजिट एरोडोम की अनुपालन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विलम्ब की दृष्टि 20 मीटर से अधिक नहीं होगी अर्थात् एन.ओ.सी की अप्राप्त की स्थिति में मानचित्र में 20 मीटर तक की स्वीकृति मान्य होगी।

संलग्नक : एक सैट स्वीकृत मानरिजः।

प्रभाती अधिकारी (पास्टर प्लान);
गांधीप्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी/

दिनांक

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खाट को स्वीकृत मानचित्र सहित सृजनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कार्यालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

19/11/2013 GMP/GM/13-17

दिनांक : 16/11/2013

मानचित्र सं. 23/MP जोन-1/13-14

मे. एस.सी.सी. बिल्डर्स प्रा.लि.

द्वारा डायरेक्टर श्री विपुल गिरी,

8/201, सेक्टर-3 राजेन्द्र नगर,

गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.13 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र खसरा सं. 1010मि. 1011 व 1012 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 03.10.13 को निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय भौगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. ग्रह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19.06.13 व 16.09.13 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कग से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायेंगे।
16. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 1200 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. संरचना सुरक्षा की उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शसनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
19. भवन में पूर्णता से पूर्व सम्पूति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
20. निर्धारित 30.0 मी. महायोजना मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
21. 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
22. स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
23. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
24. नाली, चकरोड, ग्राम-संगाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
25. अतिरिक्त शर्त स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न है एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरखा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वस्तुविद एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद

प्रमाणक : एमपी /

दिनांक /

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कायालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र सं. 74 / मा.अनु./जोन-1/14
गै. एस.सी.सी. बिल्डर्स प्रा.लि.
आयरेक्टर श्री सौरभ अग्रवाल व विपुल गिरी,
11/201, सेक्टर-3, राजेन्द्र नगर
गाजियाबाद।

दिनांक : 06.06.2012

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.12 के संदर्भ में खसरा सं.-1010, 1011 व 1012 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद पर प्रस्तावित आपके ग्रुप हाउसिंग मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.05.14 को निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :- मानचित्र संख्या-246/जोन-1/जम/12-13

- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
- मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
- राज्य सड़क लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हींकी होगी।
- यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- पता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50, पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
- सभी मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
- 1200 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूूर्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग एवं रागरा विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
- निर्धारित 30.0 मी. महायोजना मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बांद किया जायेगा।
- 10 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जल सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
- भू स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी बांद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तत्कालीन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- भवन क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
- नाली, नकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित शर्त मानचित्र के पृष्ठ भाग पर छपा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सेट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा. गाजियाबाद

दिनांक : जनवरी, 2014

मानचित्र सं. 74 / मा.अनु./जोन-1/14

प्रमाणित रूप से स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक



कायालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक 69 / मा.प्लान / जोन-1 / 15

दिनांक : 3/9/15

मै. एस.सी.सी. बिल्डर्स प्रा.लि. व मै. श्राइन बिल्डटैक प्रा.लि.

डायरेक्टर श्री विपुल गिरी,

8/201, सेक्टर-3 राजेन्द्र नगर,

गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.14 के संदर्भ में खसरा सं. 1010, 1011 व 1012 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद पर प्रस्तावि
गुप हाउसिंग मानचित्र सं.-442/जोन-1/जीएच/14-15, की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.07.15 को निम्नलिखित श
के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन् व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की को
जिम्मेदारी नहीं है।
5. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
6. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी क
निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत
मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
8. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार
किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
9. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
10. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य
होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के
प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की
व्यवस्था करना अनिवार्य है।
15. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार
भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
16. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का
अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग
एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
18. निर्धारित 30.00 मी. मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा।
बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
19. 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
20. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा
तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
21. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
22. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
23. अतिरिक्त शर्तें स्वीकृति मानचित्र के एण्ड भाग पर चस्प है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
ग्रा.वि.प्रा., गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी /

दिनांक /

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृत पत्र

पत्रांक- 526 /प्रवर्तन जोन-1/2015

दिनांक-20/09/2015

सेवा में,

मै0 एस0सी0सी0 बिल्डर प्रा0लि0.

खसरा संख्या-1010, 1011 व 1012,

ग्राम-नूरनगर, गाजियाबाद।

विषय:- खसरा संख्या-1010, 1011 व 1012, ग्राम-नूर नगर, गाजियाबाद पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये निर्माण का शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2014 के साथ संलग्न शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 11.06.2015 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रु0 1,07,93,702.00 (रुपये एक करोड़ सात लाख तिरनबे हजार सात सौ दो मात्र) कमश: दिनांक 23.05.2015, 28.05.2015 व 01.06.2015 को विजया बैंक, गाजियाबाद में जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. शमन की जा रही गुप हाउसिंग की बाउन्ड्री वाल निर्मित नहीं है। अतः सैट बैक में दर्शाये गये क्षेत्रफल में भविष्य में भिन्नता पाये जाने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं यदि कोई विचलन पाया जाता है तो उसे पुनः शमन कराना होगा।
2. भवन के उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व भवन अध्यासित नहीं किया जायेगा।
3. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी बिल्डर/ए0ओ0आर0 की होगी।
4. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त संशोधित मानचित्र के साथ जमा किया गया है। अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
5. भविष्य में सी0एस0आर0 (कम्यूनिटी शोसल रेस्पॉन्सबिलिटी) की बाध्यता होने पर उक्त मद में प्राधिकरण द्वारा सौंपे गये कार्य पूर्ण कराने होंगे।
6. गुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15% प्रस्तावित ग्रीन एरिया/पार्क जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखना होगा।
7. निर्धारित 45 मी0 मार्ग एलाइनमेंट परिवर्तन होने पर यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ता है तो पुनः शमन कराना होगा।
8. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. प्रस्तावित गुप हाउसिंग के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-246/जोन-1/2012-13 में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
10. पार्किंग हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल का उपयोग केवल पार्किंग के रूप में अनुमन्य किया जायेगा। 10% पार्किंग आगन्तुकों के लिए आरक्षित की जायेगी।

P. T. O.

11. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानको, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा किसी दोष के कारण यदि भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. शमन मानचित्र में यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
13. स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के समय प्रस्तुत स्ट्रक्चर डिजाइन व ड्राईंग के अन्तर्गत भवन संरचना स्थापित करनी होगी।
14. पार्क एवं खुले क्षेत्र में 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण करना होगा।
15. निर्माण के समय यथा सम्भव सुरक्षा उपकरणों का स्तेमाल करना होगा ताकि असम्यक दुर्घटना से बचाव हो सके।
16. निर्माण लागत आंकलित धनराशि की 1% धनराशि लेबर सेस के रूप में यू0पी0 बिल्डिंग एवं अदर कन्सट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड के खाते में जमा कराना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अलग-अलग : शमन मानचित्र की एक प्रति
उपरोक्तानुसार।


अवर अभियन्ता

भवदीय

सहायक अभियन्ता